

पत्रांक :- 02/वि0-06/2021 428/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची- 834002

संकल्प

विषय:- राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक-01.12.2004 के पूर्व नियुक्त) को 7th CPC के अन्तर्गत सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक-01.04.2021 से स्वीकृत करने के संबंध में।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), 2000 के अन्तर्गत गठित परिनियम (STATUTE FOR THE GRANT OF RETIREMENT BENEFITS TO EMPLOYEES OF THE BIHAR/ RANCHI/ BHAGALPUR/ MAGADH/ L.N.MITHILA/ K.S.D.SANSKRITUNIVERSITY) के Appendix-A (Retiral Benefit Rule) के section-II (पेंशन) की कंडिका-16 की अंतिम कंडिका जो इस प्रकार है "Any further change in the rate of pension as also relief in pension under the Bihar (Govt.) Pension Rules, will be equally applicable to the University employee" (Approved by the Chancellor vide letter No.- BSU/52/80-5285 GS (1) Dated 18.11.1980 as amended by letter NO.- BSU/52/80/2158GS (1) Dated 25.11.1982) के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक-01.12.2004 के पूर्व नियुक्त) को 7th CPC के अन्तर्गत सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक-01.04.2021 से प्रदान किया जाना है।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-1-1/2017- U.II, दिनांक-11.06.2018 के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को दिनांक-01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 7th CPC के अन्तर्गत सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का प्रावधान है।

भारत सरकार के उक्त पत्र तथा उपर्युक्त वर्णित परिनियम के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक-01.12.2004 के पूर्व नियुक्त) के पेंशन का पुनरीक्षण निम्न रूपेण किया जाता है:-

i) राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियुक्त होकर नियमित रूप से कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को ही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य होगा। पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक-01.04.2021 से अनुमान्य किया जाएगा।

ii) दिनांक-15.11.2000 (झारखण्ड गठन) के बाद एवं दिनांक-01.01.2016 के पूर्व राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध सेवानिवृत्त/मृत शिक्षक एवं पदाधिकारी के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्यक विचारोपरांत दिनांक-01.04.2021 से निम्न दो सूत्रों के आधार पर किया जायेगा:-

A.Lan

A.Lan

(क) प्रथम सूत्र:- संबंधित कर्मों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में प्राप्त वेतन को सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के पश्चात् सभी अनुवर्ती वेतन समितियों की अनुशंसा के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वैचारिक निर्धारण करते हुए दिनांक-01.04.2021 को निर्धारित वेतन का 50% के रूप में पेंशन एवं 30% के रूप में पारिवारिक पेंशन निर्धारित किया जायेगा।

[गणना की सुलभता हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-1-1/2017-U.11 दिनांक-11.06.2018 एवं पत्रांक-1-1/2017-U.11 दिनांक-11.06.2020 के माध्यम से समेकित गणना तालिका संसूचित है।]

(ख) दूसरा सूत्र:- दिनांक-31.03.2021 को प्राप्त पेंशन राशि में 2.57 के स्थिर गुणक से गुणा कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि का निर्धारण किया जायेगा।

उपर्युक्त दोनों सूत्रों में से जो अधिक लाभकारी होगा, वही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में स्वीकृत होगा।

iii) अतिरिक्त पेंशन- 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था यथावत् निम्न रूप से जारी रहेगी:-

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन का 100%

iv) चिकित्सा भत्ता- पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी, जो विश्वविद्यालय के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में लागू है।

v) यह योजना सेवानिवृत्त हुए उन्हीं शिक्षकों/पदाधिकारियों के उपर लागू होगा, जिनके वेतन निर्धारण का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया गया हो।

3. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरुद्ध (दिनांक-01.12.2004 के पूर्व नियुक्त) सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 7th CPC के अन्तर्गत सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक-01.04.2021 से स्वीकृत किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर दिनांक-23.02.2024 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-10 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(राहुल कुमार पुरवार)

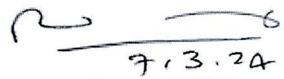
सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक- 12/03/2024

ज्ञापांक- 02/वि0-06/2021 428/

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।





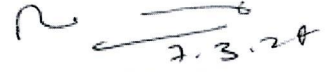
(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 02/वि0-06/2021५२८/

राँची, दिनांक- 12/03/2024

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2.3.24

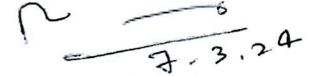
(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 02/वि0-06/2021५२८/

राँची, दिनांक- 12/03/2024

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग/सचिव, वित्त विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ई० गवर्नेस कोषांग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/बिनोद बिहारी महतो कोयलंचल विश्वविद्यालय, धनबाद/जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर/डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2.3.24

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

R.894